प्रदर्ष–1 अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सहखातेदार दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा छापड़ा के खाता संख्या 705 प्रदर्ष–2 अनुसार ख.न. 616 उक्त भूमि वादी सं. 2 मांगीलाल के नाम खातेदारी मे दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा छापड़ा के खाता संख्या 914 प्रदर्ष–3 अनुसार ख.न. 1102/616 वादी शंकरलाल के नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा छापड़ा के खाता संख्या 820 प्रदर्ष–4 अनुसार ख.न. 1104/616 की खातेदारी वादी सं. 1 रामदेव के नाम खातेदारी में दर्ज है। वाद पत्र के साथ उक्त खसरान के राजस्व नक्से का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि ख.न. 616 का पूर्व में पक्षकारान के मध्य बंटवारा होकर अलग अलग खातेदारी दर्ज हुई है। परन्तु मौके पर उक्त खसरान की स्थित राजस्व रिकॉर्ड से भिन्न है। ख.न. 1102/616 वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार कटाणी रास्ता नहीं लगता है जिससे खातेदार को सरकारी सुविधाओं से वंचित होना लाजमी है। वादीगण ख.न. 616 के नये ख.न. 1104/616, 1102/616 व 1103/616 व 616 की मौके पर किये हुये बंट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने चाहते तथा सभी पक्षकार सहमत भी है तथा सभी खातेदारान को तरमीम संसोधन से रास्ता भी प्राप्त हो जायेगा। अतः वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से वादी के वाद की ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने उक्त खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किाय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का भी है। अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार डेह के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 रामदेव के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा छापड़ा में खेत खसरा नम्बर 1103/616 रकबा 3.4236 हैक्टेयर में से रकबा 1.1412 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खसरा नम्बर 642 रकबा 0.1276 हैक्टेयर गै.मु. बाड़ा में से 1/3 रकबा 0.0458 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है एवं रामदेव के हक बंट कब्जे काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 1104/616 रकबा 1.7563 हैक्टेयर की तरमीम मौका स्थितीनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है।

2. वादी संख्या 2 मांगीलाल के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा छापड़ा में खेत खसरा नम्बर 1103/616 रकबा 3.4236 हैक्टेयर में से रकबा 1.1412 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खसरा नम्बर 642 रकबा 0.1276 हैक्टेयर गै.मु. बाड़ा में से 1/3 रकबा 0.0458 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है एवं वादी मांगीलाल के हक बंट कब्जे काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 616 रकबा 4.2249 हैक्टेयर की तरमीम मौका स्थितीनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है।

3. वादी संख्या 3 शंकरलाल के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा छापड़ा में खेत खसरा नम्बर 1103/616 रकबा 3.4236 हैक्टेयर में से रकबा 1.1412 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खसरा नम्बर

01-02-2022. 10.10

Scanned with CamScanner

642 रकबा 0.1276 हैक्टेयर गै.मु. बाड़ा में से 1/3 रकबा 0.0458 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है एवं वादी शंकरलाल के हक बंट कब्जे काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 1102/616 रकबा 4.2249 हैक्टेयर की तरमीम मौका स्थितीनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है।

4. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपने हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।

वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्सा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा जारी होकर तहसीलदार डेह को तहरीर जारी हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 10/1/23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner